प्रेस नोट
साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 04.02.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना खरगूपुर में ग्राम प्रधान/संभ्रान्त व्यक्तियों व व्यापार मण्डल के सदस्यों के साथ गोष्ठी कर साइबर अपराधों से बचाव हेतु किया गया व्यापक जागरूक–

गोण्डा। आज दिनांक 04.02.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना खरगूपुर में ग्राम प्रधानों/संभ्रान्त व्यक्तियों व व्यापार मण्डल के सदस्यों के साथ साइबर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ग्राम प्रधान/संभ्रान्त व्यक्तियों व व्यापार मण्डल के सदस्यों द्वारा महोदय को शॉल, शील्ड व पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा उपस्थित सभी लोगो को सम्बोधित करते हुए साइबर अपराध के प्रकार व साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरूक किया गया। महोदय द्वारा बताया गया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाए, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। किसी भी प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली–भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी भी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। बीमा कम्पनी, नौकरी के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। महोदय द्वारा डिजिटल अरेस्ट के विषय में सभी को जानकारी देते हुए बताया गया कि साइबर ठग आपके पास कॉल/वीडियों कॉल कर खुद को किसी जांच एजेंसी या पुलिस अधिकारी बताकर कानूनी टर्म का इस्तेमाल करते है तथा आपको किसी अपराध में शामिल होने की बात कहते है। कुछ मामलों में इंटरनेट पर अश्लील वीडियों देखने का भी आरोप लगाते है साथ ही पीड़ित से किसी भी शांत स्थान पर जाने की बात करते है। जिससे परिवार या फिर किसी जानकार से संपर्क नही हो सके। साइबर ठग पीड़ित पर मानसिक रूप से दबाव बनाकर पीड़ित को अपनी बातों में ले लेते है और मामला सेटल करने के लिए पैसे देने की बात कहते है। कुछ मामलों में ठगों को पुलिस की वर्दी पहने भी देखा गया है। याद रखे कोई भी सरकारी अधिकारी फोन पर कानूनी कार्यवाही नही करता है। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी साइबर ठगी हो गयी है तो घबराना नही है। आपको पुलिस की साइबर सेल या 1930 पर कॉल कर पूरी जानकारी देनी है। महोदय द्वारा ग्राम प्रहरियों के साथ संवाद स्थापित कर उनका कुशलक्षेम पूछते हुए साइबर अपराध से बचाव हेतु टेम्पलेट वितरित कर जागरूक किया गया तथा ठण्ड से बचाव हेतु कंबल वितरित कर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया गया।

<u>इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय, प्र0नि0 खरगूपुर, कस्बा खरगूपुर व्यापार मण्डल के पदाधिकारी, सम्भ्रांत व्यक्ति, प्रधान संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।</u>

<u>साइबर सुरक्षा टिप्स–</u>

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>